



2026:AHC:17252

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 46094 सन् 2025

प्रमोद कुमार मिश्रा एवं 6 अन्य

..... याचिककर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिककर्ता(गण) के अधिवक्ता: अंशुमान मिश्रा, चंद्रकांत, श्रीनाथ

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 2

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत प्रकरण में पारित किए जाने वाले आदेश के दृष्टिगत, प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण को नोटिस देने एवं इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी प्रयोजन नहीं रह जाता। तथापि, यदि प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण इस आदेश से व्यथित अनुभव करें, तो उन्हें आदेश में संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. प्रस्तुत याचिका में याचीगण द्वारा माँगी गई मूलभूत राहत यह है कि प्रत्यर्थी संख्या-2 को निर्देशित किया जाए कि वे पुनर्स्थापना आवेदन/पुनर्स्थापना वाद संख्या आरएसटी/5251/2023, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी202314360405251, जो वाद संख्या 05513 वर्ष 2018, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी201814360405513 से उद्भूत है, को शीघ्रता से निर्णीत करें।
4. याचीगण के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के बावजूद आज तक इस विषय में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, प्रस्तुत याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि संबंधित न्यायालय उपरोक्त आवेदन को विधि के अनुसार अत्यंत शीघ्रता से, अधिमानतः तीन माह की अवधि के भीतर, निर्णीत करे, परंतु जब तक कोई विधिक बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दे।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

22 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।